

... (faint text at the top of the page)

- ✓ ... (faint bullet point)
- ✓ ... (faint bullet point)
- ✓ ... (faint bullet point)
- ✓ ... (faint bullet point)
- ✓ ... (faint bullet point)
- ✓ ... (faint bullet point)
- ✓ ... (faint bullet point)
- ✓ ... (faint bullet point)
- ✓ ... (faint bullet point)
- ✓ ... (faint bullet point)

... (faint text)

...

...

... (faint text)

...

... (faint text)

... (faint signature)

...

...

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

कार्यालय,

संघीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उच्चतर प्रवेश आदेश।

संख्या:- प्राविणपरिषद सम्बद्धता/2022/7817

प्रकाशक:- दिनांक:- 30/08/2022

कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वेटवक संव 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने से उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्चतर आदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 21/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा संव 2022-23 हेतु आवेदित नए संस्थाओं को सम्बद्धता, पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम परिवर्तन/संशोधन/सुद्धि सहित अन्य सटीक पर विचार करते हुए संव 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विद्ये गये विषय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्चतर आदेश द्वारा संव 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम :- 4829-KAILASH INSTITUTE OF PHARMACY & MANAGEMENT

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0एमडि0सी0टी0ई0एम पी0सी0एमडि0 द्वारा संव 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संव 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0एमडि0सी0टी0ई0एम/पी0सी0एमडि0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उच्चतर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद


Kailash Institute of Pharmacy
& Management
20A, Gurgaon

विनियमावली-1992, विनियमावली-2000, सेक्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करनी। इवीए पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150.00/- प्रतिवर्ष, टी वीसीए कार्यक्रमों पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा टी वीसीए पाठ्यक्रमों (टी वीसीए कार्यक्रमों) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत सिधे जाने वाले शासनादेश पढनी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनीकरण ही लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च तथा उच्च-बनायी नवी नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि शासन का ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0 सी अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई याच दायर किया जाता है तथा अन्य याच के संबंध में न. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्चनिका द्वारा पर्येक वर्ष प्रेषित हेतु आयोजित कन्फ्रेंस/सत्र शासन होने के पूर्व ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0 सी अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अतः उन्हीं प्रेषित की (कन्फ्रेंस/सत्र के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार परामीषी प्रेषित) अनुमति पत्रान जारी की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशों/नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समय-समय पर निर्गत ऐतिहासिक पूर्ण भूमि, स्टाफ, साऊ-रजल, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्र/छात्रा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही संस्था के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परम्परागत स्थापित कार्यक्रमों को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपस्थित करने वाले अधिकारी, अति-उच्च, पूर्ण-रक, उपस्थित, इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि बोम्बा उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थायी निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, मकान, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साम-सामान ९०, १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९०, १०० के सदस्य/सूचक उपस्थित नहीं पाया जाय है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायगी।
- ✓ सम्बद्धता सर्टी का अनुपचार न किये जाने अथवा सर्टी का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनत्मक कार्यवाही की जायेगी।


(अध्यक्ष/उप-अध्यक्ष)

सचिव

सूचक- प्राचिन/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8465

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि-

प्राचिन/परिषद KAILASH INSTITUTE OF PHARMACY & MANAGEMENT


(अध्यक्ष/उप-अध्यक्ष)

सचिव


KAILASH
Institute of Pharmacy
& Management
GDA, Gandhinagar

आर्थागत

राष्ट्रीय पारिवारिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश राज्यपाल

संख्या:- परिषदापरिषद् सम्बद्ध/2023/12050/01

संलग्नक दिनांक: 12-09-2023

आर्थागत माध्यम

अखिल भारतीय राजनीती शिक्षा परिषद् एवं कार्मिकी कार्यालय जीए इडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व ही संचालित दिल्लीवा सत्रीय राजनीती शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विचार प्रदान किये जाने के उपरांत पारिवारिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० राज्यपाल से सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने के संबंध में संख्या दिनांक 29-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद आर्थागत में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय राजनीती शिक्षा परिषद् कार्मिकी कार्यालय जीए इडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रस्ताव अनुमोदन विचार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को पारिवारिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० राज्यपाल द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन एवं उत्तर प्रदेश प्रवेश प्रस्ताव हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पता एवं पिन : 4829-KALASH INSTITUTE OF PHARMACY & MANAGEMENT			
क्र.सं.	अनुमोदन का नाम	संस्था/सीसीआई/सी पीसीआई द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश शुल्क	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश शुल्क
1	DIPLOMA IN PHARMACY	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ पारिवारिक शिक्षा, अनुमोदन उत्तर प्रदेश शासन के सब संख्या 311/10-00998/2022 तारीख 18 नव 2023 द्वारा पूर्व से संबंधित संस्था संस्थाओं की शर्तों के विरुद्ध सत्रीय अध्यापकों में नियुक्ति दिए पत्रिका संख्या 807/2023 में अधीन अध्यापकों के अधीन निर्णय के अधीन अनुमोदन विचार की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय राजनीती शिक्षा परिषद् कार्मिकी कार्यालय जीए इडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्मित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय राजनीती शिक्षा परिषद् कार्मिकी कार्यालय जीए इडिया, नई दिल्ली के प्रस्ताव के अनुक्रम संस्था में प्रस्ताव संस्था (भूमि, भासा, लैब उपकरण) यदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पारिवारिक शिक्षा परिषद सत्र 1992 तथा पारिवारिक शिक्षा परिषद विधिवत 1993, दिनांक 2003, संस्था विनियामक-2016 तथा अनुमोदन सत्र पर निर्मित शासकीयों का अनुमोदन संबंधी एवं शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेश अध्यापकों से प्राप्त किए जायेंगे। उत्तर प्रदेश के अधीन अध्यापकों में शुल्क के सम्बंध में प्रस्ताव प्रस्ताव का प्रस्ताव द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासकीय शर्तों को और अनुमोदन संबंधी किये गए अध्यापक सेवा वीर निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का निर्धारण किया जाता है, जो अधीन की अधीन अधीन ही लागू होगी।
- ✓ संस्था के अनुमोदन प्रवेश परीक्षा प्रविष्ट द्वारा अधीन अधीन शर्तों ही पूर्ण किए जायेंगे।
- ✓ संस्था को प्रस्ताव-भासा पर निर्मित शासकीयों के अनुमोदन निर्धारण पर सम्बद्धता शुल्क तथा करदा देयता। (अनुमोदन में प्रस्ताव)।
- ✓ प्रस्ताव द्वारा प्रवेश प्रस्ताव द्वारा निर्मित विधि-निर्णय-अधिनियम-काम-संबंधी-निर्णय एवं निर्देशक, पारिवारिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राज्यपाल परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश पारिवारिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन को किये गये निर्णय, निर्देशन, शर्तों, निर्णयों को पूर्ण पालन करेगी।

